पत्र सं0–स0नि0–वि0कार्या0/आ0भवन–मरम्मत–वृहद–लघु निर्माण कार्य/2023–24/ 416 /राज्य कर
कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 20 अगस्त, 2023

समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य से सम्बन्धित परिपक्व/औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण/विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पूँजीगत मद में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रु0–3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है।

मुख्यालय के पत्र संख्या–797 दिनांक 22–03–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग उ0प्र0 की विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु तीन कार्यदायी संस्थाओं के परिपक्व/औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया है। तदोपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या–61 दिनांक 24–04–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय आवासीय/कार्यालय भवनों/विभागीय भूमि पर निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत नियामानुसार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

शासन के पत्र संख्या–01/2023/ए–2–60/दस–2023–17(4)/75 दिनांक 17–05–2023 द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रशित प्रभार) में संशोधन करते हुए, दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या–166 दिनांक 23–05–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा संशोधित सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार) के अनुरुप परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक का पत्र प्रेषित किये गये हैं।

शासन के पत्र संख्या–268/11–4–2023 दिनांक 28–06–2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण मानक मद संख्या–24–वृहद निर्माण कार्य में रु0–3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य कर विभाग, उ0प्र0 के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच, महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। चहारदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रु0–2500.00 लाख एवं जनपद सोनभद्र में कार्यालय निर्माण के लिये रु0–1060.58 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है, का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में पॅजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदों में निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन को अनिवार्य रुप से सम्मिलित किये जाने निर्देश मुख्यालय को दिये गये है, जिसकी प्रति समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित भी है, के अनुक्रम में अविलम्ब प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–272 दिनांक 07–07–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या–354 दिनांक 07–08–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए, विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण/विभागीय भूमि पर नये

कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किये गये हैं।

इस प्रकार समय–समय पर मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी पूँजीगत मद में जोन स्तर पर लम्बित परिपक्व/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में प्राविधानित बजट का उपयोग नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा समय–समय पर की जा रही समीक्षा बैठक में निरन्तर परिपक्व/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन प्रेषित करने के निर्देश दिये जा रहे है, किन्तु परिपक्व/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के अभाव में शासन स्तर पर समीक्षा बैठक में विभाग का पक्ष रखने में कठिनाई आ रही है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण/विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु परिपक्व/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अविलम्ब सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(राम सजीवन मिश्रा)
संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांकः:उक्त।

प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

आवश्यक/समयबद्ध

प0सं0-स0नि0-पूँजीगत मद /निर्माण कार्य /2023-24/

3541/राज्य कर

कार्यालयः आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 07 अगस्त,2023

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त
   राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक,
   राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य से सम्बन्धित परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने के पूंजीगत मद में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग उ0प्र0 की विभागीय भूमि /कार्यालय /आवासीय भवनों की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 797 दिनांक 22.03.2023 द्वारा समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय आवासीय /कार्यालय भवनों /विभागीय भूमि पर निर्माण /लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 द्वारा समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार) में संशोधन करते हुए, दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या 166 दिनांक 23.05.2023 द्वारा संशोधित सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार) के अनुरूप परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या-268/11-4-2023 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण मानक मद संख्या-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य कर विभाग, उ0प्र0 के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच, महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। चहारदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 2500.00 लाख एवं जनपद सोनभद्र में कार्यालय निर्माण के लिए रू0 1060.58 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है, का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदों में निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन को अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में अविलम्ब प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 272 दिनांक 07.07.2023 द्वारा समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस प्रकार समय समय पर मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी पूंजीगत मद में परिपक्व /औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध नही कराये जा रहे हैं, जो शासन की प्राथमिकता में है। शासन द्वारा समय समय पर की जा रही समीक्षा बैठक में निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत मद में प्रावधानित बजट का उपयोग नहीं हो पाने के कारण शासन स्तर पर समीक्षा होने पर विभाग का पक्ष रखने में कठिनाई आ रही है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए, विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित परिपक्व /औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव अविलम्ब मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/07.08.2023
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

01. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
02. अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी-नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
04. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

आवश्यक/समयबद्ध

प0सं0-स0नि0-विभागीय कार्यालय/आवासीय भवन-मरम्मत-वृहद-लघु निर्माण कार्य/2023-24/ 272 /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- आपर आयुक्त, राज्य कर
नोयडा जोन, नोयडा।

2- समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3- अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0 लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग)

लखनऊः दिनांक 07 जुलाई,2023

विषयः- राज्य कर विभाग में विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण /बाउण्ड्रीवाल निर्माण व नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य <u>कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने के पूंजीगत मद में एकमुश्त व्ययस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 3560.78 लाख का प्राविधान किया गया है।

अवगत कराना है कि विभागीय भूमि पर चहारदीवारी निर्माण कार्य एवं विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन में निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 797 दिनांक 22.03.2023 व पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 से औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

ज्ञातव्य हो कि शासन के पत्र सं0-268/11-4-2023 दिनांक 28.06.2023 जिसकी प्रतिलिपि समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश को करते हुए निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में लोक निर्माण विभाग के आगणन को शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है, के निर्देश दिये गये हैं।

अतः नये वृहद निर्माण कार्य /निर्माण कार्य हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए, तीन कार्यदायी संस्थाओं में लोक निर्माण विभाग का भी आगणन प्रस्ताव शामिल करते हुए, तत्काल औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में स्पष्ट संस्तुति सहित मूलरूप में मुख्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - शासन का पत्र सं.-268/11-4-2023
दि0- 28-06-2023

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी-नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सं0– 268 / 11–4–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–4

लखनऊ :दिनांक 28 जून, 2023

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय कार्य योजना प्रस्तुतीकरण /2023–24/155/राज्य कर दिनांक 18.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत पर व्यय–01 कार्यालय भवन 051–निर्माण मानक मद संख्या–24 वृहद निर्माण कार्य में रू0 3560.58 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज, मथुरा, एटा, बहराइच, महोबा, चित्रकूट, सम्भल में कार्यालयं भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है चाहरदीवारी के निर्माण कार्य तथा 42 विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 2500.00 लाख एवं जनपद सोनभद्र में कार्यालय निर्माण के लिए रू0 1060.58 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूँजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सभी जनपदो में निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। द्रष्टव्य है कि उक्त सभी प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा।

अपर आयुक्त (प्र०)
अपर आयुक्त (जोन)
मु० आ० (सम्पत्ति)

छठे आयुक्त
28-6-23

9/14

भवदीय,
27/6/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–268(1)/11–4–2023, तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर विभाग उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति)

received 03/07/2023

अपर आयुक्त (प्रशा०)
budget
28-6-2023

183

आवश्यक/समयबद्ध

पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय कार्यालय/आवासीय भवन–मरम्मत–वृहद–लघु निर्माण कार्य/ 2023–24/ 166 /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– अपर आयुक्त राज्य कर,
नोयडा जोन नोयडा।

2– समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उ0 प्र0।

3– अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0 प्र0, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2023

विषयः– विभागीय आवासीय/कार्यालय भवनों/विभागीय भूमि पर निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य, निर्माण कार्य आदि के सेन्टेज चार्जेज के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 01/2023/ए–2–60/दस–2023–17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति आदि से सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था में संशोधन करते हुए निर्देश दिये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक 17.05.2023 में दिये गये निर्देशों का पालन कराते हुए परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर उ0 प्र0 को निर्देशित कर दें व स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए प्रस्ताव समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र मुख्यालय के पत्र संख्या–61 दिनांक 24.04.2023 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी–नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 17 मई, 2023

विषय: मेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन ।

महोदय,

निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति आदि से सम्बन्धित व्यवस्थायें वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-87-दस-97-17(4)-75, दिनॉक 27 फरवरी, 1997 तथा इसके क्रम में जारी शासनादेश संख्या-ए-2-225-दस-98-17(4)/75, दिनॉक 19 अगस्त, 1998 व संख्या-ए-2-1118-दस-99-17(4)/75, दिनॉक 24 मार्च, 1999, नगर विकास अनुभाग-5 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3058/नौ-5-2004-145सा/2004 दिनॉक 22 दिसम्बर, 2004, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)-75, दिनॉक 25 जनवरी, 2011, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस -2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च,2011, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-616/दस-2014-17(4)-75 टी०सी०(डी) , दिनॉक 28 मार्च , 2014 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)-75, दिनॉक 11 नवम्बर , 2014 में की गयी हैं ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति आदि से सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था में संशोधन करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष निम्नवत् आदेश दिये गये हैं:-

1- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार):-

(1) वर्तमान में मार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं में लागू सेंटेज दरों की एक समान दर (12.5 प्रतिशत) को समाप्त किया जाता है ।

- - 2- -

श्रीमती कामना
23/05/23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2 (3) के अनुसार राजकीय निर्माण विभागों/इकाइयों के विभागीय कार्यों पर सेंटेज दर (6.875 प्रतिशत) को परियोजना की लागत पर जोड़ने व उसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर कुल लागत में मे लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर निम्नलिखित स्लैब के अनुसार सेंटेज दरों (प्रतिशत प्रभार) की व्यवस्था को लागू किया जाता है :-

कार्य की लागत	सेंटेज की दर
रूपये 25 करोड़ तक	10 प्रतिशत
रूपये 25 करोड़ से अधिक एवं रूपये 50 करोड़ तक	8.0 प्रतिशत
रूपये 50 करोड़ से अधिक एवं रूपये 100 करोड़ तक	7.0 प्रतिशत
रूपये 100 करोड़ से अधिक	5.0 प्रतिशत

(4) इन सेंटेज दरों (प्रतिशत प्रभार) में डी०पी०आर० गठन,कार्यों का निष्पादन व लेखा-परीक्षा पर व्यय सम्मिलित है।

2- वित्तीय स्वीकृति:-

(1) प्रारम्भ में किसी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाय ताकि कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो। इसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर कॉस्ट की सूचना ससमय प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) कालांतर में यदि किन्हीं कारणों से परियोजना की लागत का पुनरीक्षण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अवशेष कार्यों का मूल्यांकन टेंडर कॉस्ट का संज्ञान लेते हुए किया जाय ताकि अतिरिक्त Cash Outflow की स्थिति न बने।

(3) परियोजनाओं के डी०पी०आर० गठन सहित प्रत्येक चरण हेतु समय सीमा (Time-Line) निर्धारित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- ब्याज वापसी:-

सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से work-wise ब्याज की धनराशि राजकोष (राज्य की समेकित निधि) में जमा की जाय तथा इसका उल्लेख बैलेंस शीट में अनिवार्य रूप से किया जाये। इस कार्यवाही की

- -3 - -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सूचना उक्त संस्थाओं द्वारा नियोजन विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को भी दी जाय।

4- वित्तीय क्लोजर:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजना के पूर्ण होने पर उनका वित्तीय क्लोजर किया जायेगा तथा अपने खातों में परियोजना हेतु प्राप्त धनराशि , व्यय की धनराशि, अवशेष धनराशि तथा अर्जित ब्याज की धनराशि को स्पष्ट रूप में दर्शाया जायेगा। परियोजना पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि,यदि कोई हो,को कार्यदायी संस्था द्वारा अविलम्ब राजकोष में जमा किया जाएगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट (Financial Statement/Balance Sheet/Profit & Loss Account) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में नियोजन विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू होंगे। इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)-75, दिनॉक 25 जनवरी, 2011, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 का कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस -2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च,2011, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या-ए-2-616/दस-2014-17(4)-75 टी०सी०(डी), दिनॉक 28 मार्च, 2014 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)-75, दिनॉक 11 नवम्बर , 2014 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। यदि सेन्टेज चार्जेज आदि के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्यथा कोई आदेश जारी किये गये हैं तो वे निरस्त समझे जायेगें। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा-समय किये जायेगें।

कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2023/ए-2-60(1)/दस-2023-17(4)/75, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- आयुक्त, ओद्योगिक विकाम विभाग /समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

6- प्रमुख सचिव,विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक/ मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माणविभाग /सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग /ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे विभाग /नगर विकास विभाग/लघु सिंचाई विभाग /भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.।

12- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।

14- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक/समयबद्ध

पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय कार ...वन–मरम्मत–वृहद–लघु निर्माण कार्य/ 2023–24/ 61/राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– अपर आयुक्त राज्य कर,
नोयडा जोन नोयडा।

2– समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उ0 प्र0।

3– अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0 प्र0, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

विषयः– विभागीय आवासीय/कार्यालय भवनों/विभागीय भूमि पर निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों व आवासीय भवनों तथा विभागीय भूमि में पर निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु लेखा अनुदान में बजट का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य/लघु निर्माण कार्य/नये निर्माण कार्य तथा विभाग को उपलब्ध भूमि जहां पर भविष्य में कार्यालय भवन निर्माण/आवास निर्माण किया जाना है, पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य आदि के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं का आगणन प्रस्ताव में उल्लेख किया जाना अपरिहार्य है:–

1. शासन द्वारा निर्धारित लागत सीमा हेतु अधिकृत/अनुमोदित संस्था से ही कार्य कराया जा रहा है तथा कराये जाने वाले कार्य हेतु कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित है।
2. वांछित कराये जाने वाले समस्त कार्य का समावेश प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणन में सम्मिलित है।
3. कराये जाने वाले कार्यो के दायित्व का निर्धारण व भुगतान शासनादेश में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
4. कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव में कार्य का स्पष्ट उल्लेख सक्षम स्तर के अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन प्रस्ताव में निहित धनराशि का मूल्यांकन स्थानीय स्तर से सक्षम स्तर के अधिकारी से कराकर, मूल्यांकन किये गये आगणन पर संबधित कार्यदायी संस्था का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
6. जिस कार्य का स्थान, कार्य की प्रकृति समान हो उस कार्य को टुकड़ो में विभाजित न करके नियमानुसार एक साथ ही आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
7. मरम्मत, लघु निर्माण, नये निर्माण के कार्यो हेतु प्रेषित प्रस्तावों में वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निहित शासनादेशों के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाए तथा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए एवं कार्यदायी संस्था का चयन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूची में प्रथम वरीयता "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से आगणन प्रस्ताव किया जाए। उनसे प्राप्त न होने की दशा में "बी" व "सी" श्रेणी की कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए तथा "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से किये गये पत्राचार का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाए।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण करने की समय सीमा का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाये।

9. आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–ए––1092/दस–2011–24(7)–95 दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्रतिनिधायन/शर्तों के अंतर्गत ही मुख्यालय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत ही प्रेषित किये जाये।

10. नये वृहद निर्माण कार्य/निर्माण कार्य हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से तथा लघु निर्माण कार्य/अनुरक्षण कार्य हेतु एक राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से उपरोक्त बिन्दुओं के समावेश करते हुए परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित किये जाये।

यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यालय पर मरम्मत/निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव बजट की अनुपलब्धता के कारण शासन से स्वीकृति जारी नहीं करायी जा सकी। उन प्रस्तावों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यदायी संस्था से कार्य करने की सहमति उसी दर पर प्राप्त कर अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रस्ताव उपलब्ध कराये।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग उ0 प्र0 की विभागीय भूमि/कार्यालय भवन/आवासीय भवनों की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–797 दिनांक 22.03.2023 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य/लघु निर्माण कार्य/नये निर्माण कार्य तथा विभाग को उपलब्ध भूमि जहां पर भविष्य में कार्यालय भवन निर्माण/आवास निर्माण किया जाना है, पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य आदि के परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जो अपरिहार्य कार्य के हो, की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार तीन राजकीय कार्यदायी सस्थाओं से उपरोक्तानुसार आगणन प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर उ0 प्र0 को निर्देशित कर दें व स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित दिनांक 30.06.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी–नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय भूमि/चाहरदीवारी निर्माण कार्य/ 2022–23/ 797 /राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0, लखनऊ।
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक : 22 मार्च, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग उ0 प्र0 की विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।**

कृपया राज्य कर विभाग के विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों में भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में आपके अधीनस्थ जनपदों में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिन जनपदों में विभागीय भूमि उपलब्ध है, की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य एवं कार्यालय/आवासीय भवनों में चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जोन में उपलब्ध विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों/प्रॉपर्टी **की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तो उसकी अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये, यदि चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है तो भूमि का भौमिक निरीक्षण करते हुए चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के आगणन प्रस्ताव प्राप्त करते हुए प्राप्त आगणन प्रस्तावों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराते हुए यथाशीघ्र मुख्यालय** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।